रोहिणी योजना के अन्तर्गत विकसित किए गये प्लाट

4837. श्री अनवार अहमद : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत श्रेणी वार कितने प्लाटों को विकसित किया जा रहा है तथा 31 जनवरी, 1984 तक विकसित किये गये प्लाटों की संख्या क्या है ? और

(ख) क्या यह सच है कि योजना के अधीन सभी श्रेणियों के प्लाटों के लिए आवेदकों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध प्लाटों की संख्या से कम है और यदि हां, तो बकाया प्लाटों की बिक्री किस प्रकार से की जायेगी;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रोहिणी योजना के अन्तर्गत कुल 16,150 मध्यम आय वर्ग, 45000 निम्न आय वर्ग तथा 51,000 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता प्लाटों को विकसित किया जाना है। 31 जनवरी, 1984 तक विकसित प्लाटों के वर्गवार ब्यौरे निम्नलिखित है :-

मध्यम आय वर्ग	3806
निम्न आय वर्ग	8789
जनता	7794

(ख) योजना में व्यवस्थित प्लाटों की संख्या निम्न आय वर्ग तथा जनता श्रेणी के आवेदकों की अपेक्षा अधिक है। मध्यम आय वर्ग श्रेणी में प्लाटों की संख्या आवेदकों की संख्या से कम है।

निम्न आय वर्ग तथा जनता श्रेणी के शेष प्लाटों को बेचने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली में गंगा जल की सप्लाई

4838. श्री अनवार अहमद : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लोगों को गंगा जल सप्लाई करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) दिल्ली में गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध योजना का ब्यौरा क्या है;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि शाहदरा जल शोधन संयंत्र (भागीरथी) के कुछ भाग पहले ही चालू कर दिए गए हैं तथा यमुनापार क्षेत्र तथा दक्षिण दिल्ली के भागों को पानी सप्लाई किया जा रहा है।

(ख) संस्थान के अनुसार, उक्त संयंत्र से मार्च, 1984 के अन्त तक 25 एम. जी. डी. पानी सप्लाई करना निर्धारित किया है और शेष मात्रा (75 एम. जी. डी.) 1985 तक उत्तरोत्तर सप्लाई की जाएगी।

दक्षिण दिल्ली के शहरी गांवों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना

4839. श्री अनवार अहमद : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण दिल्ली के दस शहरी गांवों जैसे चिराग दिल्ली, जमरुदपुर, कोटला मुबारकपुर आदि को गन्दी बस्ती घोषित करने के विस्तृत कारण क्या हैं;